



मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा में CGHS दर पर कैशलेस आधार पर रेडियोलॉजी (CT Scan, MRI, Sonography, Digital X-ray, OCT, B Scan) जांच कराने हेतु अभिव्यक्ति की अभिरूचि आमंत्रित किये जाते हैं।

नियम एवं शर्तें

1. कृपया Envelope पर मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा नाम स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित करें।
2. संविदा की अवधि निविदा जारी होने के बाद अगले दो वर्ष की होगी।
3. सभी ऑफर CGHS दर एवं रेलवे नियम एवं शर्तों के अनुसार उपयुक्त होगा।
4. मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा द्वारा जांच हेतु रेफरल पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय कार्यालय के सील के साथ 02 प्रतियों में मरीजों को दिया जाएगा।
5. बिल 03 प्रति में GST नंबर के साथ होना चाहिए। भुगतान बिल सिस्टम में किया जाएगा। बिल रेफर पत्र की प्रति के साथ लगाकर अगले माह के प्रथम कार्य दिवस में मंडल रेलवे चिकित्सालय, कोटा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा जिसमें जीएसटी नंबर अवश्य रूप से दर्ज हो।
6. जांच केन्द्र द्वारा रेलवे से जांच हेतु भेजे गये मरीजों को कैशलेस आधार पर जांच की सुविधा दी जाएगी। मरीजों से किसी भी प्रकार की कोई क्लेम नहीं लिया जाएगा।
7. जांचों का दर CGHS दर जयपुर सिटी के अनुसार होगी। वैसे जांचें जो CGHS दर सूची में शामिल नहीं हैं उनकी दर AIIMS नई दिल्ली के अनुसार मान्य होगी। वैसे जांचें जो CGHS दर सूची एवं AIIMS नई दिल्ली की सूची में शामिल नहीं हैं, उनका दर सम्बन्धित जांच केन्द्रों के दर छूट के साथ स्वीकार्य होंगे।
8. रेडियोलॉजी जांचों की सेवा 24x7hrs. होंगे। जांच केन्द्र प्रिंटेड रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
9. मशीन खराबी या तकनीकी खराबी के कारण unsatisfactory performance की स्थिति में जांच दुबारा करानी होगी जिसके लिए अलग से कोई शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा को अनुबंध बिना कारण बताये समय से पूर्व समाप्त करने/अवधि कम करने/अवधि बढ़ाने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. आपके द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कोई वाद-विवाद एवं कानूनी अड़चन उत्पन्न होती है तो उसकी जवाबदारी आपकी होगी।
12. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किसी भी समय यूनिट का निरीक्षण स्वयं या रेलवे चिकित्सा अधिकारी या रेलवे चिकित्सा टीम से कराया जा सकता है।
13. जांच केन्द्र कोटा नगर निगम क्षेत्र में होना चाहिए।


04/03/22
ACMS


04/03/22
AEMS (optho)


04/03/22
ADMO (Patho)


14. अनुबंध 30 दिनों में रेलवे नियम एवं शर्तों पर करना होगा तथा उस समय के प्रचित रेलवे के नियमों के अनुसार Single Specialty जांच केन्द्रों से अनुबंध के दौरान रुपये 50,000/- PBG के रूप में जमा करने होंगे।
15. मरीजों की सुविधा अनुसार नियम व शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।
16. अनुबंध केवल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कोटा द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी।
17. नियम व शर्तों को रेलवे की वेबसाइट www.indianrailway.gov.in में देखा जा सकता है।

तकनीकी/आवश्यक शर्तें

1. मंडल रेलवे चिकित्सालय कोटा से रेफर किये गये रोगियों की निर्धारित सभी CT Scan, MRI, Sonography, Digital X-ray, OCT, B Scan प्राईवेट सेंटर पर करानी हैं जिसमें Full time रेडियोलॉजिस्ट एवं Qualified Technician अटैच हो, जिसके सुपरविजन में ही जांचें हों और वह इन्हें हस्ताक्षरित करे।
2. OCT तथा B Scan रेटिना विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए तथा रिपोर्ट भी हस्ताक्षरित होना चाहिए।
3. जांच केन्द्र पर आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हों
 - अ. MRI मशीन कम से कम 1.5 टेसला की होनी चाहिए।
 - ब. CT Scan मशीन कम से कम 128 टेसला की होनी चाहिए।
4. रेडियोलॉजी जांच रिपोर्ट प्रिंटेड एवं रेडियोलॉजिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
5. जांच केन्द्र के पास समस्त वैद्य लाईसेंस एवं सरकारी पॉलिसी अनुसार पंजीकृत होना चाहिए जिसकी प्रति ऑफर के साथ संलग्न होनी चाहिए।
6. USG हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र PCPNDT Act के तहत होना चाहिए जिसकी प्रति ऑफर के साथ संलग्न होनी चाहिए।
7. CT Scan के लिए AERB प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से होना चाहिए।


Anoop


Anoop


04/3/22
ADMO (Patna)